कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सवाई माधोपुर

क्रमांकः स्था./प.15/आदेश/ए/2025/8/164 दिनांक 20.09.2025

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/915 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड–III (अंग्रेजी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रुपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

S. No.	Name of Candidate	DOB	Merit No.	Roll No.	Gender	S. Category
1	Mr. DUSHYANT SINGH	01-01-2005	10	43810	MALE	MBC-NCL

1. उक्त नियुक्ति आशुलिपिक ग्रेड–III की संयुक्त परीक्षा, 2025 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को यह नियुक्ति subject to police verification दी जा रही है। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाएं या सत्यापन सही नही पाए जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
6. उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को अपने शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता इत्यादि समस्त मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।
7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर में उपस्थित होना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
10. नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ह0/–
(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सवाई माधोपुर

क्रमांकः स्था./4101–03 दिनांक 20.09.2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे नियुक्ति आदेश को तुरन्त न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करें एवं नवनियुक्त अभ्यर्थी को ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल पर भी आदेश की प्रति प्रेषित करेंगे।
3. Mr. Dushyant Singh S/o Sh. Mantar Singh, 120, Hanuman Vatika-A, Gokulpura, Kalwar Road, Jaipur (Rajasthan) – 302012, Mobile No. 7230097336, Email ID – singhdushyant010105@gmail.com

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4. आदेश/निजी/सम्बन्धित पत्रावली

20/9/25
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सवाई माधोपुर